



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5943/MH/27/2025-RU-I

दिनांक: 28.11.2025

सचिव,
वरत मंत्रालय,
भारत सरकार,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011,
ई-मेल: secy-textiles@nic.in
संपर्क सूत्र: 23061769

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
भारतीय कपास निगम लिमिटेड,
'कपास भवन', प्लॉट नंबर 3-ए, सेक्टर 10,
सीबीडी बेलापुर,
नवी मुंबई, महाराष्ट्र - 400614
ई-मेल: headoffice@cotcorp.com
Tel. No: 0222757 9217

प्रधान सचिव,
सहकारिता, विपणन एवं वरत विभाग,
महाराष्ट्र सरकार,
कक्ष संख्या 313, तृतीय तल,
मंत्रालय, मुंबई-400032, महाराष्ट्र
ई-मेल: acs.coop@maharashtra.gov.in

विषय: नांदेड़ जिले की किनवट तहसील में अनुसूचित जनजाति के कपास उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान करवाने हेतु कपास खरीद केन्द्र की स्थापना हेतु श्री भीमराव भिमाई रामजी केराम, विधायक, किनवट-माहूर विधानसभा निवासी राजगृह निवास, राजेन्द्र नगर, किनवट, तहसील - किनवट, जिला - नांदेड़ -431 804 का दिनांक 11.09.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 18.09.2025.

संदर्भ: आवेदक का आवेदन दिनांक 11.09.2025.

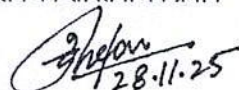
संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.10.2025.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्यवाही के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 18.12.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री भीमराव भिमाई रामजी केराम,
विधायक, किनवट-माहूर विधानसभा,
निवासी राजगृह निवास, राजेन्द्र नगर, किनवट, तहसील - किनवट,
जिला - नांदेड़ -431 804, महाराष्ट्र
ई-मेल: bhimrao.keram@outlook.com
Mobile संपर्क सूत्र: 9421871744
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।